प0स0–स्था–1–विभागीय व्यवसायिक प्रशिक्षण/2020–21/ 904 /वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश,
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक– 22 जुलाई, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

नवप्रोन्नत वाणिज्य कर अधिकारी के पदोन्नति आदेश संख्या–481 दिनांक–24.06.2020 व 655 दिनांक–03.07.2020 द्वारा चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। चूँकि वर्तमान समय में कोविड़–19 महामारी के दृष्टिगत उक्त नवपदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारियों को लखनऊ स्थित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाना सम्भव नहीं है। उल्लेखनीय है कि समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर अपने जोन के पदेन अपर निदेशक (प्रशिक्षण) भी नामित हैं ।

अतः समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर अपने जोन के नवपदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर ही दो माह का विभागीय प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण से सम्बन्धित पाठ्य सामाग्री आदि किसी भी समस्या के निराकरण हेतु अपर निदेशक, (प्रशिक्षण), वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, वाणिज्य कर, उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ से समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

लखनऊ स्थित मुख्यालय, प्रशिक्षण संस्थान एवं उच्च न्यायालय कार्य में कार्यरत नवप्रोन्नत वाणिज्य कर अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्य लखनऊ जोन, उच्च न्यायालय कार्य, प्रयागराज में कार्यरत नवप्रोन्नत वाणिज्य कर अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्य प्रयागराज जोन द्वारा तथा सर्वोच्च न्यायालय कार्य में कार्यरत नव प्रोन्नत वाणिज्य कर अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्य गाजियाबाद जोन द्वारा किया जायेगा।

उक्त प्रशिक्षण कार्य यथा सम्भव माह अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण कर लिया जाये।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

पृष्ठॉकन पत्र संख्या व दिनॉक-उक्त

प्रतिलिपि – अपर निदेशक, (प्रशिक्षण), वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, वाणिज्य कर, उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि जोन स्तर पर प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु विषय वस्तु, पाठ्य सामाग्री आदि के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जोनल एडीशनल कमिश्नर से समन्वय कर प्रेषित कराना सुनिश्चत करें, जिससे प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण में एकरूपता रहे।

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।